अ: महात्मा अनुमण्डल पदाधिकारी मधुपुर
P.A. Case N. 46/39 | 17-18
(मो० महफुज) बनाम रीजवान आलम
अताउल शेख

| आदेश की क्रम सं0 एवं ता० | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

25·01·25

## आदेश

प्रस्तुत पी०ए० वाद संख्या–46 / 2017–18 आवेदक–मो0 महफुज, पिता–स्व० मो0 अताउल शेख, साकिन–भौराटाँड, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के द्वारा वंशावली के आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् एवं पी०ए० वाद संख्या–39 / 2017–18 आवेदक–मो0 रीजवान आलम, पिता–एम0डी0 मुस्तफा शेख, साकिन–भौराटाँड, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर के द्वारा संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–5 के तहत मौजा–भौराटाँड, थाना नं०–254 का प्रधान नियुक्त करने हेतु समर्पित आवेदन को सम्बद्ध कर अभिलेख की कार्रवाई प्रारम्भ किया गया है।

इस संबंध में अंचल अधिकारी, मधुपुर से जाँच प्रतिवेदन की मांग की गई, जो उनके पत्रांक–242 / रा०, दिनांक–12.04.2018, पत्रांक–298 / रा०, दिनांक–07.05.2018, पत्रांक–368 / रा०, दिनांक–25.07.2019, एवं पत्रांक–532 / रा०, दिनांक–03.07.2023 द्वारा प्राप्त है, जो अभिलेखबद्ध है।

अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–भौराटाँड, थाना नं०–254 एक प्रधानी मौजा है। उक्त मौजा के पूर्व 16 आना का खतियानी प्रधान एतवारी शेख, पिता–भतन शेख थे। इस मौजा का प्रधान पद हेतु दो आवेदक ने आवेदन किये है। प्रथम आवेदक–मो0 महफुज, पिता–स्व0 अताउल शेख, खतियानी प्रधान एतवारी शेख का ज्येष्ठ परपौत्र है। आवेदक का उम्र–31 वर्ष है। आवेदक साक्षर एवं प्रधानी कार्यभार सम्भालने की क्षमता रखते है। मौजा में कुल जमाबंदी रैयतों की संख्या–22 एवं वार्षिक लगान–163.00 / – (एक सौ तिरेसठ रूपये) अलावे सेस है। खतियानी प्रधान एतवारी शेख के पौत्र मो0 अताउल शेख ने भी प्रधान पद के लिए आवेदन किये थे किन्तु बहाली होने के पूर्व ही इनकी मृत्यु हो गई। द्वितीय आवेदक–मो0 रीजवान आलम, पिता–एम0डी0 मुस्तफा शेख, साकिन–भौराटाँड द्वारा धारा–5 के तहत् प्रधानी नियुक्ति हेतु आवेदन दिया गया है। फलतः अंचल अधिकारी, मधुपुर द्वारा आवेदक–मो0 महफुज, पिता–स्व० मो0 अताउल शेख, साकिन–भौराटाँड, अंचल–मधुपुर, को मौजा–भौराटाँड, थाना नं०–254 का सोलह आना का प्रधान पद पर नियुक्ति की अनुशंसा वंशनुगत के आधार पर करने हेतु प्रतिवेदन अग्रसारित किया गया है।

प्रधानी नियुक्ति वाद में माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के W.P.(c) No.-3164/2005 एवं W.P.(c) No.-1141/2015 में दिनांक–03 / 22.02.2023 को पारित आदेश के पारा–39 में स्पष्ट उल्लेखित है कि :–

*"....The decision in Baisakhi Harijan, so far as it holds that in a given case when there are two applicants one on the basis of hereditary right and the other on the basis of election, the Sub-Divisional Officer or the Deputy Commissioner, as the case may be, has to first consider the case of the person who claims on the basis of hereditary righy, does not appear to be in consonance with the interpretation of different clauses of Clause 5 under Rule 3 of the SPT Rules as accorded in the foregoing paragraphs since the statute does not contemplate simultaneous applications, one under Section 5 of the SPT Act and the other in terms of Section 6 of the SPT Act...."*

D:\2019\order-form-update 2019,.docx

| आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख | आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| | इस संबंध में विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट है कि मौजा–भौराटाँड, थाना नं०–254 एक प्रधानी मौजा है एवं खतियानी प्रधान के वंशज जीवित है। आवेदक–मो0 महफुज, पिता–स्व० मो0 अताउल शेख जो खतियानी प्रधान के ज्येष्ठ परपौत्र है, ने संताल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा–6 के तहत आवेदन दाखिल किया है। द्वितीय आवेदक–मो0 रीजवान आलम द्वारा धारा–5 के तहत आवेदन दाखिल किया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार किसी मौजा में एक साथ धारा–5 एवं धारा–6 के आवेदन पर विचार नहीं किया जा सकता। चूंकि मौजा प्रधानी है, धारा–6 के तहत् दाखिल प्रधान नियुक्ति आवेदन पर कार्रवाई किया जाना उचित प्रतीत होता है। द्वितीय आवेदक खतियानी प्रधान के वंशज में नहीं आते हैं। अतएव द्वितीय आवेदक– मो0 रीजवान आलम, पिता–एम0डी0 मुस्तफा शेख, साकिन–भौराटाँड, अंचल–मधुपुर द्वारा धारा–5 के तहत प्रधान नियुक्त करने संबंधी दाखिल आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।<br>अंचल अधिकारी, मधुपुर से प्राप्त प्रतिवेदन एवं दाखिल कागजातों के आधार पर स्पष्ट है कि आवेदक–मो0 महफुज खतियानी प्रधान के वंशज हैं। अतः वंशानुगत आधार पर संताल परगना काश्तकारी अधिनियम, 1949 की धारा–6 के तहत् आवेदक–मो0 महफुज, पिता–स्व० मो0 अताउल शेख, साकिन–भौराटाँड, अंचल–मधुपुर, जिला–देवघर को मौजा–भौराटाँड, थाना नं०–254 का 16 (सोलह) आना का प्रधान नियुक्त किया जाता है।<br>तद्नुसार आवेदक कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा करें, तत्पश्चात् नियुक्त प्रधान को पट्टा निर्गत करें।<br>आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, मधुपुर को भेजें।<br>**लेखापित एवं शुद्धित**<br>अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। — अनुमण्डल पदाधिकारी, मधुपुर। | ज्ञापांक 131 दिनांक 05.2.25 |
| 31.01.25 | आवेदक द्वारा कबुलियत एवं सुरक्षित राशि जमा किया गया। पट्टा निर्गत करें।<br>अनु० पदा०<br>मधुपुर | |

Digitally signed by RAJIV KUMAR
Date: 2025.03.29 13:46:07 +05:30
Location: 192.168.29.81